

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल, घंटी मिल रोड,
लहरतारा, ओल्ड लोको कालोनी शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनय कुमार राय पिता-स्व० राम प्रवेश राय ग्राम-पो०-पानापुर थाना-करगहर जिला-रोहतास केश फाईल नं०-के०ए०/04169	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मास्टर प्रेम कुमार पिता-सुनील महतो ग्राम-कवलपुर पो०-थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण कसफाइलनं०-के०ए०/01703	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 050826मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2140(14)

पटना, दिनांक 27.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/18
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशीफ रजा पिता-अमीन अंसारी ग्राम-पो०+थाना-धमौल जिला-नवादा	नस रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।।
			कुल रु 25,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु 25,000/- (पच्चीस हजार) का क्रास चेक सं०..... 050818..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

28.11.18

ज्ञापांक 2154(14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
28/11/18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
नालन्दा मेडिकल कालेज, अस्पताल
अगमकुंआ, पटना- 800018

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रित पाल सिंह पिता-स्व० इन्दर सिंह ग्राम-चमदौरीया पो०-झाउगंज थाना-चौक जिला-पटना	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति।
			कुल रू० 50,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक सं० 051869 लग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- जिस-जिस दिन रोगी का डायलिसिस होना हो अधीक्षक, तत्काल आवश्यक राशि B.Braun Dialysis Centre को उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए वो पहले से उनसे विमर्श कर लेंगे।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2153 (14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.18
निदेशक प्रमुख
ओ.सिन्हा

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,
मंगल मार्केट, शेखपुरा,
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पृथ्वी नाथ पांडेय (जे०पी० सैनानी) पिता-वर्मा पाण्डेय ग्राम-पेअरेपुर मिरगंज जिला-गोपालगंज	नेत्र रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 30,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....*057820*.....
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2152 (14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02
28/11/18
निदेशक प्रमुख
श्री. सिन्हा

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामु ठाकुर पिता-श्री कृष्ण ठाकुर ग्राम-बाहरी धवलपुरा पो०-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	उषा पांडेय पति-अरुण कुमार पांडेय ग्राम-हेलाबाजार पो०-थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	ब्रेन सर्जरी	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 3,85,000/-	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं०द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...057821...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

2151(14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
21.11.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नईमा खातुन पति-नियाज अहमद ग्राम-कैथवलीया पो०-थाना-जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	फातिमा खातुन पति-मो० फुरकान ग्राम-फूलडोबी पो०-धनेटा थाना-फलका जिला-कटिहार यू०एच०आई०डी०-228900	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उमेश कुमार सिंह पिता-राम बिहारी सिंह ग्राम-भवन टोला पो०-खवासपुर थाना-कृष्णागढ जिला-भोजपुर यू०एच०आई०डी०-46956	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बबीता कुमारी पिता-गुलजारी लाल नन्दा ग्राम-रेपुरा पो०-खटांगी थाना-कुर्था जिला-अरवल रजि नं०-242276	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	मास्टर रिजान शेख पिता-अली मोहम्मद ग्राम-पो0-सागी थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी रजि नं0-पी0एच/188359	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	सबाना प्रवीण पति-नसर अहमद ग्राम-सुरौधा कॉलनी पो0-थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर यू0एच0आई0डी नं0-229798	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
			कुल 5,25,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 5,25,000/- (पांच लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 050822 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 32987008657 खाता धारक का नाम- पारस एचएमआर आई अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-शेखपुरा, बेली रोड, राजा बाजार पटना 14, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003563 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा0 आर. डी. रजंन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 050822 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2150(14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-
निदेशक प्रमुख
21.11.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुस्तम अली पिता-मो० जमालउद्दीन ग्राम-घेघटा पो०-सरैया थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर आरा	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	कविता कुमारी पति-सतीश कुमार ग्राम-रामपुर पो०-अरनडा थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			कुल ₹1,75,000/-	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 050823 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050823 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

2158(14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई टी०. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.11.18

सं० सं०- 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चैताली देवी पति-ललन राऊत ग्राम-शिवपुरी नहर पार सरिस्ताबाद, पो०-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050829 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~050827~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

2161(14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित मरीजों / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/11/18
निदेशक प्रमुख
21.11.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 20.11.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1.	शिव कुमार लाल पिता-स्व० रामचन्द्र लाल ग्राम-संजय गाँधी रोड पो०-लौहिया नगर थाना-अगमकुआँ जिला-पटना सी०आर० नं०- 253424 / 18	ब्रेन हैमरेज	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2.	धरिषण चौधरी पिता-गुलाब चौधरी ग्राम-तिर्थकौल पो०-थाना-संदेश जिला-भोजपुर, आरा सी०आर० नं०- 220304 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
3.	अजीज अहमद पिता-ओलायत हुसैन ग्राम-ईमादपट्टी पो०-थाना-बारा चकीया जिला-पूर्वी चंपारण सी०आर० नं०- 247202 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
4.	योगेन्द्र मंडल पिता-स्व० जगदीश मंडल ग्राम-पो०-माणीकपुर थाना-जिला-मधेपुरा सी०आर० नं०- 250859 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
5.	उमा देवी पति-शिवलाल राय ग्राम-पो०-बीरपुर थाना-जुरावनपुर, जिला-वैशाली सी०आर० नं०- 185231 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

2159(14)
28.11.18

6.	सिरातुन निशा पति-शाहबुद्दीन ग्राम-हरनारौई पो0-छोधरा थाना-अबादपुर जिला-कटिहार सी0आर0 नं0- 234387 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
7.	दरखशा नाज पिता-मो0 अबरार रजा ग्राम-मोहचट्टी पो0-पीपरा दादन थाना-कनहौली जिला-सीतामढी सी0आर0 नं0- 234735 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
8.	जितेन्द्र राजवंशी पिता-सुरेश राजवंशी ग्राम-लाल बिगहा पो0-भदसेमी थाना-हिसुआ जिला-नवादा सी0आर0 नं0- 172924 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
9.	मुन्नी देवी पति-रविन्द्र मांझी ग्राम-पो0-शंकरा थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान सी0आर0 नं0- 209736 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
10.	देवकली देवी पति-हजारी प्रसाद ग्राम-ओल्हनपुर टोले चकदारा पो0-ओल्हनपुर थाना-मढोरा जिला-सारण सी0आर0 नं0- 245063 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
11.	नागदेव सिंह पिता-रामकेवल सिंह ग्राम-काकन डिहरा पो0-मणियच थाना-पावाना जिला-भोजपुर सी0आर0 नं0- 250156 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
12.	रामदुलार यादव पिता-बालदेव यादव ग्राम-कजीरसलपुर पो0-थाना-तेघडा जिला-बेगूसराय सी0आर0 नं0- 133407 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

13.	लक्ष्मीनिया देवी पति-केशो यादव ग्राम-घुघरी पो0-आम्बातरी थाना-मोहनपुर जिला-गया सी0आर0 नं0- 172511 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
14.	गुलाबो कुंवर पिता-श्री कृष्ण राम ग्राम-बारुण पो0-थाना-सूर्यपुरा जिला-रोहतास सी0आर0 नं0- 219447 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
15.	अख्त्री खातुन पति-मो0 एनुल हक ग्राम-पो0-उगावा थाना-अस्थावा जिला-नालंदा सी0आर0 नं0- 150082 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
16.	प्रमिला देवी पति-सुरेश सिंह ग्राम-परसौनिया पो0-मिर्जानगर थाना-महुआ, जिला-वैशाली सी0आर0 नं0- 180612 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
17.	राजेन्द्र शर्मा पिता-रामनाथ शर्मा ग्राम-पो0-कर्णपुरा थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान सी0आर0 नं0- 237615 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
18	इन्दु देवी पति-प्रदीप कुमार ग्राम-पो0-शंकरा थाना-जी0बी0नगर जिला-सीवान सी0आर0 नं0- 239736 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
19	उषा देवी पति-दिलीप कुमार चौधरी ग्राम-पो0-रौसना थाना-प्राणपुर जिला-कटिहार सी0आर0 नं0- 169537 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
20	रंजना कुमार पति-बिनोद चौधरी ग्राम-पो0-दिधीया थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी0आर0 नं0- 242248 / 18	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत

2159(14)
28.11.18

21	भगवती देवी पति-बिरेन्द्र यादव ग्राम-गंजरघौली पो-माधोपट्टी थाना-कमलौल जिला-दरभंगा पंजीओपीडी / 236350 / 18	पेट रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत विशेष परिस्थिति
22	रामनाथ प्रसाद पिता-स्व० खेदरू प्रसाद ग्राम-पो-दनारा थाना-बिक्रम जिला-पटना सीओआर० नं०-023483 / 18	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
23	कुसुम देवी पति-टिपन प्रसाद सिंह ग्राम-कसमर पो-खरीका थाना-सोनपुर जिला-सारण सीओआर० नं०-044632 / 17	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
24	राजेन्द्र सिंह पिता-जनक देव सिंह ग्राम-पाण्डेयपुर पो-चनचौरा थाना-दरौदा जिला-सीवान सीओआर० नं०-238705 / 18	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
25	शैली देवी पति-शम्भु साह ग्राम-ठेगपुर पो-बहदीनपुर थाना-पारू जिला-मुजफ्फरपुर पंजी ओपीडी / 076828 / 17	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत
26	सुरेन्द्र सिंह पिता-स्व० रामदेव सिंह ग्राम-पो-परसर थाना-काराकाट जिला-रोहतास सीओआर० नं०-101568 / 18	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत
27	देवकी देवी पति-लाला दास ग्राम-अम्बेदकर नगर पो-नौवागढी थाना-नया रामनगर जिला-मुंगेर सीओआर० नं०-161320 / 18	कैंसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत

28	सनाउल्लाह मो० याकूब पिता-मो० याकूब ग्राम-नवटोल पो०-भवानीपुर थाना-बिरौल जिला-दरभंगा सी०आर० नं०-131649 / 18	हिप रिपलेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत
29	घनश्याम प्रसाद पिता-महेन्द्र प्रसाद ग्राम-कुम्भीयातरी पो०-नौवडीहा झुरांग थाना-फतेहपुर जिला-गया सी०आर० नं०-210751 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
30	मीरा देवी पति-देवनन्दन यादव ग्राम-चरारनी पो०-बोची थाना-ताराबाड़ी जिला अररिया सी०आर० नं०-213204 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
31	रघुनन्दन महतो पिता हुक्कुम महतो ग्राम-बड़ी नगला पो०-माधव मिल थाना-मालसलामी जिला-पटना सी०आर० नं०-176190 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
32	मंसुर आलम पिता-इलियास ग्राम-पो०-चिलमील थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय सी०आर० नं०-228734 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
33	ललीता देवी पति-सुरेन्द्र राय ग्राम-कमरगामा पो०-तीरा जटमलपुर थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर सी०आर० नं०-243734 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
34	राम विलास यादव पिता-रंजन यादव ग्राम-पो० सिधपकला थाना-लदनीया जिला-मधुबनी सी०आर० नं०-142614 / 18	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

35	श्याम बिहारी सिंह पिता-स्व० ननबुटन सिंह ग्राम-कटीयारा पो०-डढाव थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरनं०-214668 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
36	राजकुमारी देवी पति अशोक कुमार विश्वास ग्राम-दनसार, पो०-एकम्बा थाना-जलालगढ़ जिला-पूर्णिया सीआरनं०-242535 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
37	किसमातो देवी पति-स्व० महेश राय ग्राम+पो०'-बाघा कोल थाना-मकेर जिला सारण सीआरनं०-212166 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
38	हेमा देवी पति-मनोज कुमार यादव ग्राम-बुधवा टोला पो०+थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर सीआरनं०-254771 / 18	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
39	सुरज कुमार पिता-दशरथ चौधरी ग्राम-पो०-आगापुर थाना-मंसुरचक जिला-बेगुसराय सीआरनं०-205452 / 17	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
40	गजेन्द्र ठाकुर पिता-महादेव ठाकुर ग्राम-पो०-बसंत जगजीवन थाना-पुरनैहीया जिला-शिवहर सीआरनं०-215064 / 17	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
41	सूर्यमुखी देवी पति-शंभु साह ग्राम-किरत राजा राम पो०+थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली सीआरनं०-087645 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
42	नीलम देवी पति प्रदीप कुमार शर्मा ग्राम+पो० सोनवर्षा थाना-नावानगर जिला-बक्सर सीआरनं०-175262 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

43	सुधा देवी पति-गणेश प्रसाद ग्राम-धर्मपुर पो0-कचहरीया थाना-चंडी जिला-नालंदा सीआरनं0-079542 / 18	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
44	राखी यादव पति-भुषण कुमार ग्राम+पो0 लालु छपरा थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-021437 / 17	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
45	मुन्नी देवी पति-गुरु प्रसाद विश्वास ग्राम-धुरपैली पो0-सहनगांव थाना-अमौर जिला-पूर्णिया सी0आर0 नं0-231985 / 18	मुत्र रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
46	रविन्द्र प्रसाद पिता-राजा राम साह ग्राम-पो0+थाना-पुनपुन जिला-पटना सीआरनं0-190701 / 17	किडनी रोग	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
47	मनोज कुमार सिंह पिता-राम चरित्र सिंह ग्राम-राजीव नगर रोड नं0-9 पो0-थाना-राजीव नगर जिला-पटना सीआरनं0-258046 / 18	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
48	गीता देवी पति-स्व0 कृष्ण नन्दन यादव ग्राम+पो0-डोहरा थाना-नारदीगंज जिला-नवादा सीआरनं0- 220845 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
49	नौसाबा बानो पति-मो0 समशेर आलम ग्राम-पो0-जट डुमरी थाना-पुनपुन जिला-पटना सीआरनं0-234608 / 18	हृदय रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत ।
50	राम जन्म राय पिता-जगदीश राय ग्राम-फुलपुरा पो0-चक सिकन्दर थाना-विदुपुर, जिला-वैशाली सीआरनं0-036906 / 17	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

2159(14)
28/11/18

51	सुलेखा देवी पति-सुधीर कुमार यादव ग्राम-शाहपुर पो0-सीसई थाना+जिला-सहरसा सीआरनं0-183587 / 17	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	राजीव रंजन पिता-स्व0 प्रफुल चन्द्र ग्राम-सी-60 चन्द्रबीला पुलिस कालोनी, पो0 अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना सीआरनं0-252307 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
53	ललीया देवी पति-देव लाल राय ग्राम-लोदीपुर नारायण पो0-बाजीतपुर करनैल थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-225624 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
54	गीता देवी पति-राम बदन राय ग्राम-कल्याण टोल पो0-जनकपुर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-225443 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	बेचन प्रसाद यादव पिता-महावीर प्रसाद यादव ग्राम-आजाद नगर 10 पो0+थाना+जिला-मधेपुरा सीआरनं0-112521 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	नरेश राम पिता-चुल्हय राम ग्राम-सिंहकुंड पो0-लोकमानपुर थाना-खरीक जिला-भागलपुर सीआरनं0-200039 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	शकुन्ती देवी पति-कृष्णा रजक ग्राम लुटौत पो0-छठीयारा थाना करंडे जिला-शेखपुरा सीआरनं0-005212 / 18	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

58	अर्जुन पासवान पिता-विनो पासवान ग्राम-नरहरीपुर पो0-ताजपुर थाना-भगवानपुर जिला बेगुसराय सीआरनं0-139443/15	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	साबीया खातुन पति-मो0 अब्दुल्लाह ग्राम-जीयनखुर्द पो0-ऐमा बिशुनपुर थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0- 227879/18	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत ।
60	राम बाबु पंडित पिता-शैलन्द्र पंडित ग्राम-तुरकौलीया पो0 मझौलीया थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी सीआरनं0- 244965/18	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
61	मंजु देवी पति-बासुदेव दास ग्राम-दोनार गंगा सागर पो0-लालबाग थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा सीआरनं0- 234125/18	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
62	तेजु कुमार पिता-स्व0 हरि नन्दन राम ग्राम महुआबाग पो0-धनौत थाना-रूपसपुर जिला-पटना सीआरनं0- 142085/15	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
63	कल्याणी देवी पति-जय जय राम ठाकुर ग्राम-पो0-ब्रहमपुर थाना कमतौल जिला-दरभंगा सीआरनं0-095743/18	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
64	नागेन्द्र महतो पिता-पुनित महतो ग्राम-समसपुरा पो0-मिलकी चकबाजे थाना-तिसीयौता जिला-वैशाली सीआरनं0- 098889/18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

65	शिव वरण सिंह पिता-चैत सिंह ग्राम-चौबेपुर पो0-बम्मवार थाना पीरो जिला-भोजपुर सीआरनं0- 000599 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
66	पिंकी देवी पति-पवन कुमार पासवान ग्राम-कमीशनरी बाजार पो0+थाना+जिला-शेखपुरा सीआरनं0-223740 / 17	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
67	बीना देवी पति-दिनेश सिंह ग्राम-महुआ बीगहा पो0+थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-169783 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
68	रेखा देवी पति-शंकर प्रसाद साह ग्राम-बाबु टोला कसबा पो0-थाना-कसबा जिला-पूर्णिया सीआरनं0- 201947 / 18	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
69	ललीता देवी पति-सहदेव साह ग्राम-पो0-सिंधीया थाना-नया रामनगर जिला-मुंगेर सीआरनं0- 048204 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
70	सुनीता देवी पति-आनन्द प्रताप मिश्रा ग्राम-अटवा दुर्ग पो0-बडी राय भान थाना-हथुआ जिला-गोपालगंज सीआरनं0- 069665 / 18	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
71	संजीव कुमार गुप्ता पिता-पशुपती प्रसाद गुप्ता ग्राम-रामपारा बगेना जिला-कटिहार सीआरनं0-187287 / 18	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
72	सलीमा खातुन पति-मो0 नेयाज अली ग्राम-भतही वार्ड नं0-3, भुतही, जिला-सीतामढ़ी पंजी/ओ0पीडी/000373 / 18	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 54,50,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 54,50,000/- (चौवन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 050825 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम — पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050825 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

2159(14)

पटना, दिनांक

28.11.18

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/18
निदेशक प्रमुख
इ. ग. इन्द्र